न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 58/2022
GCMS Case No. 2022/00192

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनु सिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरवास पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)(6)(7) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20-10-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 05.08.2022 को गैरसायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनु सिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरवास पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा **2(ख)(5)** के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सिरीयारी क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2016 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	मु0न0/दिनांक	चार्जशीट नम्बर/दिनांक	धारा	नाम थाना	नाम न्यायालय/निर्णय
1	277/02-11-20	170/25.11.20	341,323,504,327,34,379 भादस	सिरीयारी	जेएम कोर्ट मा0ज0/जैर ट्रायल
2	129/17-06-21	151/31.12.20	341,323,307 भादस	सिरीयारी	जेएम कोर्ट मा0ज0/जैर ट्रायल
3	116/31-07-21	64/14.09.2021	379 भादस	ट्रान्सपोर्ट नगर	एसीजेएम कोर्ट पाली
4	181/31-07-21	83/29.09.21	394,452,324,395,34 भादस	मारवाड जंक्शन	जेएम कोर्ट मा0ज0

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनु सिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरवास पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली चोरी एवं नकबजनी के धंधे में लिप्त है, एंव गैर सायल अन्य लोगो को भी चोरी करने एवं झगडा करने के लिए प्रेरित करता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा **2(ख)(5)** राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना मा0ज0 का अव्वल दर्जे का बदमाश है, एंव चोरी एंव नकबजनी के धन्धे से लिप्त है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण अलग अलग थाने में दर्ज है एवं 03 प्रकरण 06 माह कि अवधि में दर्ज हुए है जिनमें गैर सायल को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरणों में बरामदगी की गई एंव नतीजा चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं वर्तमान में सभी प्रकरण जैर ट्रायल है एवं दर्ज चालानशुदा प्रकरणों के अनुंसधान से यह बखुबी साबित होता है कि गैरसायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनुसिंह आले दर्जे का नकबजन व झगडालु प्रवृति का है जिसके विरूद्ध चौरी नकबजनी के प्रकरण दर्ज है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैर सायल के खिलाफ वर्ष 2020 से प्रकरण पेश करने तक कुल 04 प्रकरण दर्ज है कुल प्रकरण में से 03 प्रकरण 06 माह की अवधि में दर्ज हुए है जिसमें गैर सायल को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरणों में बरामदगी की गई एवं नतीजा चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है एंव सभी प्रकरण न्यायालय में जैर ट्रायल है उपरोक्त दर्ज चालानशुदा प्रकरण में अनुसंधान से यह बखुबी साबित होता है कि गैर सायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनुसिंह आले दर्जे का नकबजन एवं झगडालु प्रवृति का अपराधी है एवं निरन्तर अपराधिक प्रवृति से लिप्त होने के कारण गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनु सिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरवास पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत 01 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सिरीयारी से निष्काषित कर पुलिस थाना देवगढ जिला राजसंमद के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05/11/2022 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमंद में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी देवगढ जिला राजसमंद गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनुसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सिरियारी, गैरसायल मानचन्द्रपाल सिंह उर्फ मनुसिंह को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमंद की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी देवगढ जिला राजसमंद उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सिरीयारी अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सिरीयारी एवं थानाधिकारी देवगढ जिला राजसमंद को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली